न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 69/2022

1. गुरलाभ सिंह पुत्र स्व. जसवंतसिंह उम्र 33 वर्ष जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 2, चक 11 वाई तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
2. तेजकौर पत्नी स्व. जसवंतसिंह जाति जटसिख उम्र 70 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 2, चक 11 वाई तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र स्व. जसवंतसिंह जाति जटसिख उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 2, चक 11 वाई तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. सतनामसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 11 वाई मोहनपुरा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री विनोद कुमार भाटी अधिवक्ता – – प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष मिढ़ढा – – अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–07.01.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की कृषि भूमि वाके चक 11 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/55 मु.न. 7, 8 में मु.न. 7 के किला नम्बर 17 ता 25 में तथा मु.न. 8 के किला नम्बर 16 ता 25 में कुल 3.763 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त रकबा में से 0.506 हैक्टर प्रार्थी संख्या 2 के नाम से तथा 0.253 हैक्टर प्रार्थी संख्या 3 के नाम से तथा शेष बची कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से है। जमाबंदी की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण को अपने खेत के मु.न. 7 व 8 मे कृषि भूमि जाने के लिए मु.न. 10 के किला नम्बर 21 ता 25 में से सरकारी रास्ता बना है से होकर मु.न. मु.न. 9 के किला नम्बर 21 तक पहुचते है तथा वहां पर मु.न. 10 व मु.न. 9 के बीच सरकारी खाला बना हुआ है जो कि मु.न. 10 मे बना हुआ है इसके पास मु.न. 9 है जो कि सतनामसिंह पुत्र श्री गुरदेव की कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है मु.न. 9 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 खाला के पास चिपते हुए रास्ता
है जो कि प्रार्थीगण के खेत मु.न. 8 के किला नम्बर 21 में जाकर मिलता है में
लगभग 10–15 वर्षो से आते जाते रहे हैं यही रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि को
लगता है और कोई रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में लगभग
10–15 वर्षो से आते जाते रहे है परन्तु उक्त रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता नहीं होने
के कारण अप्रार्थी संख्या 1 जब चाहे रास्ता में व्यवधान पैदा कर देता है तथा
रास्ता में अपनी गाड़ी, बैल आदि खड़े कर देता है जिससे प्रार्थीगण को अपने
खेत में जाने में कई दिक्कत है तथा इस पर कई वार प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी
संख्या 1 को समझाया गया परन्तु उसके उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 पर किसी
प्रकार कोई असर नहीं होता है तथा वह साफ तौर पर कहता है कि यह रास्ता
स्वीकृत नहीं है मैं जब चाहे बन्द कर दूंगा इस प्रकार से प्रत्येक दिन रास्ता को
लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के बीच विवाद की स्थिति वनी रहती है।
फसल हाड़ी सावनी के वक्त अन्य दिनों में उपरोक्त चालू रास्ता मु.न. 9 के
किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 का रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में मंजूर शुद्वा
नहीं है जिससे प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जब चाहे रास्ता व्यवधान
करने से नुकसान उठाना पड़ता है तथा विवाद की स्थिति पैदा होती है।
इसलिए प्रार्थीगण को मु.न. 9 के किला नम्बर 21,20,11,10,1 से खाला के साथ
चिपता हुआ डेढ–डेढ विस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाना आवश्यक
व जरूरी है। प्रार्थीगण ने कई वार अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि आप रास्ता में
व्यवधान पैदा न करे व मु.न. 9 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 जो कि
खाला के साथ चिपता हुआ है रास्ता को डी एल सी राशि लेकर तथा सक्षम
अधिकारी के पास चलकर सहमति के ब्यान कर देवे ताकि उसी अनुसार राजस्व
रिकार्ड में अंकन हो जावे पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 आज– कल–आज–कल
करता रहा परन्तु दिनांक 15.05.2022 को राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर करवाने
से इंकार हो गया और कहने लगा कि हम तो राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर
नहीं करवाते आपको जो करना है करो ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान
देते है बस यही बिनाए प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 को
हासिल है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मु.न. 7 व 8 में जाने के लिए और
कोई रास्ता नहीं है जो रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि मु.न. 9 के किला
नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में है अप्रार्थी संख्या 1 उसमें व्यवधान पैदा करता है
जब चाहे खोल देता है और जब चाहे बंद कर देता है अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त
रास्ता को बंद कर देने से प्रार्थीगण को असहनीय क्षर्ति होती है। जिसकी पूर्ति
किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं होगी । इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को पावंद
किया जावे जो रास्ता प्रार्थीगण को आने–जाने के लिए दे रखा था को बंद नहीं
करे, रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये व प्रार्थीगण को इस
रास्ता की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 को डी एल सी की दुगनी राशि देने को
तैयार है। प्रार्थी सं. 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार वनाया गया है।
अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय
शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके चक 11 वाई मोहनपुरा तहसील वा
जिला श्रीगंगानगर के मु.न. 9 के किला नम्बर 21,20,11,10,1 में से डेढ–डेढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विरता रास्ता मंजूर किया जावे व अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीगण को अपने रकबे में आने–जाने के लिए कुलवन्त सिंह जो कि रिश्ते में गुरलाभ सिंह का चाचा लगता है, के रकबा मु0 6 व 7 में से होकर अपने रकबा को पहुंचते हैं, किसी प्रकार से भी चरण संख्या 3 में वर्णित अनुसार कोई आना जाना नही है तथा ना ही किसी प्रकार से बैलगाडी खड़ी करना व किसी प्रकार से कोई दिक्कत पैदा करने प्रश्न ही नहीं होता तथा ना ही इस रकबा मे कोई रास्ता है। तमाम तथ्य केवल मात्र प्रार्थना पत्र को विधिक बनाने के लिए मिथ्या अंकित किये गये हैं। जब अप्रार्थी के रकबा मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 खाल के साथ प्रार्थीगण का आना–जाना ही नहीं है तो रास्ता मंजूर करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिस प्रकार से वर्णित है अस्वीकार है क्योंकि जब अप्रार्थी के रकबा में किसी प्रकार से प्रार्थीगण का आना जाना ही नही है तो डी. एल. सी. रेट अधिकारी के समक्ष आने व सहमति प्रदान करने का प्रश्न ही नही पैदा होता है तथा ना ही दिनांक 15–5–2022 को प्रार्थीगण, अप्रार्थी से मिले ना ही रास्ता सम्बन्धी कोई बात हुई। यह तमाम तथ्य मनगढंत व प्रार्थना पत्र को कानूनी रूप देने के लिए अंकित किये गये हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता आबादी मु0नं0 19 से होकर मु0नं0 11 व मु0नं0 12 में स्थापित कालोनी से होकर मु0नं0 6 के किला नं0 16ता 20 जो कुलवंत सिंह का रकबा है, में होकर आते–जाते है जिसके सम्बंध में लिखित बटवारानामा बाबत सहमति पत्र दिनांक 12–09–2014 की फोटो प्रति संलग्न है। असल प्रार्थीगण के कब्जा में हैं जो उनसे प्रस्तुत करवायी जायेगी। जब प्रार्थीगण का अप्रार्थी की भूमि मु0नं0 9 के किला न 1, 10, 11, 20, 21 में कभी आना जाना ही नही रहा, तो रास्ता बन्द करना व किसी प्रकार की क्षति कारित करने का प्रश्न हीं पैदा नही होता। यह तमाम तथ्य असत्य के कथित किये गये है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 जिस प्रकार से वर्णित है विधिक होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कथन – प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आये है इस कारण किसी प्रकार से कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण मु0नं0 11 के किला नः 1, 10, 11, 20, 21 के रास्ता से मु0नं0 6 में प्रवेश करते है, जिस सम्बन्ध मे प्रार्थीगण के पिता जसवन्त सिंह व कलवंत सिंह पुत्रगण श्री बुटा सिंह के द्वारा आपसी में भूमि के बंटवारा करने के समय लिखा पढ़ी के अनुसार कलवन्त सिंह व जसवन्त सिंह को अपने रकबा मे आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है व उसी रास्ता से प्रार्थीगण आ–जा रहे हैं, इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार से भी अप्रार्थी के रकबा में अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग नहीं कर सकते हैं। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए रास्ता स्वीकृत करवाने का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण जहाँ पर रास्ता की मांग कर रहे हैं वहाँ पर अप्रार्थी का एक पक्का कमरा बना हुआ है तथा 80 गुणा 150 फीट क्षेत्र में डिग्गी बनी हुई है, वहां तारबन्दी की हुई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इस कारण किसी प्रकार से अप्रार्थी के रकबा रास्ता स्वीकृत करवाने के अप्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र विशेष हर्जाना से निरस्त फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की कृषि भूमि वाके चक 11 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/55 मु.न. 7, 8 में मु.न. 7 के किला नम्बर 17 ता 25 में तथा मु.न. 8 के किला नम्बर 16 ता 25 में कुल 3.763 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त रकबा में से 0.506 हैक्टर प्रार्थी संख्या 2 के नाम से तथा 0.253 हैक्टर प्रार्थी संख्या 3 के नाम से तथा शेष बची कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से है। प्रार्थीगण को अपने खेत के मु.न. 7 व 8 मे कृषि भूमि जाने के लिए मु.न. 10 के किला नम्बर 21 ता 25 में से सरकारी रास्ता बना है से होकर मु.न. 9 के किला नम्बर 21 तक पहुचते है तथा वहां पर मु.न. 10 व मु.न. 9 के बीच सरकारी खाला बना हुआ है जो कि मु.न. 10 में बना हुआ है इसके पास मु.न. 9 है जो कि सतनामसिह पुत्र श्री गुरदेव की कृषि भूमि है मु.न. 9 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 खाला के पास चिपते हुए रास्ता है जो कि प्रार्थीगण के खेत मु.न. 8 के किला नम्बर 21 में जाकर मिलता है। मु0नं0 9 के किला नं0 21, 20, 11, 10, 1 खाला के पास चिपते हुए रास्ता है। जो प्रार्थीगण के खेत मु0नं0 9 के किला नं० 21 में जाकर मिलता है। लगभग 10–15 वर्षो से उक्त रास्ता चल रहा है। यही रास्ता प्रार्थीण की कृषि भूमि को लगता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि को नहीं लगता, परन्तु अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में असत्य व मनघढ़ंत कथनों के आधार पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि मु0नं0 11 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 से होकर रकबा में प्रवेश करते है तथा उसके साथ एक लिखित की प्रस्तुत की जो कि प्रार्थी के पिता द्वारा लिखित बताकर न्यायालयों में प्रस्तुत की तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में यह भी अंकण किया कि मु0नं0 11 जो कि चरणजीत सिंह का है व मु0नं0 6 प्रार्थी के चाचा कुलवंत सिंह का रकबा है तथा प्रार्थीगण मु0नं0 11 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में से होकर अपने रकबा में प्रवेश करते है, जो गलत तथ्यों के आधार पर मात्र जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है। सही कथन यह है कि मु0नं0 11 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में एक कुतरी खाल बना हुआ है तथा उस मुरब्बा में कोई रास्ता नहीं है तथा मु0नं0 6 के किला नं0 20 में डिग्गी आज से 10 वर्ष पूर्व की कुलवंत सिंह की बनी हुई है तथा जमाबंदी में कहीं पर भी मुरब्बा नम्बर 11 व 6 में रास्ता अलम दरामद नहीं है तथा ना ही कोई रास्ता वहां पर है। मु0नं0 9 के किला नं० 21, 20, 11, 10, 1 में आज भी रास्ता चालू है, परन्तु अप्रार्थी उक्त रास्ता में अपनी गाडी खड़ी कर देता है, जिसमें प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने में परेशानी होती हे इसलिए उक्त रास्ता में प्रार्थीगण असल बरामद करवाना चाहते है तथा उसके बदले डी०एल०सी० रेट की दोगुणी राशि व जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। प्रार्थीगण की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– 2019(1) RRT 574, 2023(2) RRT 1193, 2023(2) RRT 1196, 2023(1) RRT 699, 2022–23(Supp.) RRT 521, 2023(2) RRT 854 पेश किये गये। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थीगण को अपने रकबे में आने–जाने के लिए कुलवन्त सिंह जो कि रिश्ते में गुरलाभ सिंह का चाचा लगता है, के रकबा मु0 6 व 7 में से होकर अपने रकबा को पहुंचते हैं। अप्रार्थी के रकबा मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 खाल के साथ प्रार्थीगण का आना–जाना ही नहीं है तो रास्ता मंजूर करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता आवादी मु0नं0 19 से होकर मु0नं0 11 व मु0नं0 12 में स्थापित कालोनी से होकर मु0नं0 6 के किला नं0 16ता 20 जो कुलवंत सिंह का रकबा है, में होकर आते–जाते है जिसके सम्बंध में लिखित बटवारानामा बाबत सहमति पत्र दिनांक 12–09–2014 की फोटो प्रति संलग्न है। असल प्रार्थीगण के कब्जा में हैं। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आये है। प्रार्थीगण मु0नं0 11 के किला नं: 1, 10, 11, 20, 21 के रास्ता से मु0नं0 6 में प्रवेश करते है, जिस सम्बन्ध मे प्रार्थीगण के पिता जसवन्त सिंह व कलवंत सिंह पुत्रगण श्री बुटा सिंह के द्वारा आपसी में भूमि के बंटवारा करने के समय लिखा पढ़ी के अनुसार कलवन्त सिंह व जसवन्त सिंह को अपने रकबा मे आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है व उसी रास्ता से प्रार्थीगण आ–जा रहे हैं, इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार से भी अप्रार्थी के रकबा में अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण जहाँ पर रास्ता की मांग कर रहे हैं वहाँ पर अप्रार्थी का एक पक्का कमरा बना हुआ है तथा 80 गुणा 150 फीट क्षेत्र में डिग्गी बनी हुई है, वहां ताराबन्दी की हुई है। इस कारण किसी प्रकार से अप्रार्थी के रकबा रास्ता स्वीकृत करवाने के अप्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – 2018–19(Supp.) RRT 576, 2023(2) RRT 1165 पेश किये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि *"प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु चक 11 वाई के मुरबा नम्बर 11 के किला नम्बर 1, 10, 20, 11, 20, 21 तथा मुरबा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में प्रचलित रास्ता जो गत 30–40 वर्षों से चालू है, से होते हुए मुरबा नम्बर 6, 7 के 16 ता 20 प्रत्येक में लगभग 8 फुट में होते हुए अपने खेत में पहुंचते हैं।"* इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवम् प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपार्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता (मुरबा नम्बर 9 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1)के रकबा पर किला नम्बर 21 में सड़क की तरफ पक्की ईंटों का कमरा व 80 गुणा 150 फुट की पक्की डिग्गी बनी हुई है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को दिया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाना न्योचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण के पास वैकेल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)